दिनांक 19.07.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक–1248/110/तीन/97–VI, दिनांक 10.07.2014 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। जिन जनपदों से एम0पी0आर0 निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे जनपदों के विरूद्ध प्रथम बार चेतावनी निर्गत की जाय इसके उपरान्त भी समय से एम0पी0आर0 न आने पर प्रतिकूल प्रविष्टी का प्रस्ताव रखा जाय।
- **कम्पयूटर ज्ञान की समीक्षा** – जनपदों को पूर्व में कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है, के संबंध में निर्देशित किया था कि समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी कम्प्यूटर की जानकारी प्राप्त कर लें एवं इसकी प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में परीक्षा ली जायेगी। समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जनपदों को छोड़कर जनपदों के 60 प्रतिशत से नीचे अंक प्राप्त हुये है, जो किसी प्रकार से उचित नहीं है। जनपदों को निर्देशित किया गया 60 प्रतिशत से नीचे किसी भी दशा में अंक नहीं आने चाहिए। जनपद जिनके तीन बार से शून्य अंक आयेगें उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजना

लाभार्थी अंशदान

1. उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थी अंशदान की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न जनपदों द्वारा लाभार्थी अंशदान अभी प्राप्त नहीं किया गया है– **जनपद–अम्बेडकरनगर, बागपत, बाराबंकी, फर्रूखाबाद, गाजीपुर, झांसी, कुशीनगर, ललितपुर, मेरठ, मिर्जापुर, सीतापुर, सोनभद्र, शामली, सुल्तानपुर, एवं वाराणसी।**

   संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 7 से 10 दिन के अन्दर लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त करना सुनिश्चित् किया जाय।
2. बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 50 बिन्दुओं पर मासिक प्रगति आख्या बैठक के दिनांक तक निम्न जनपदों द्वारा प्रेषित नहीं की गयी थी :–

   औरैया, अमरोहा, बागपत, चन्दौली, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर एवं लखीमपुर–खीरी।

   संबंधित जनपदों को कड़े निर्देश दिये गये कि समय से मासिक प्रगति आख्या सूडा को उपलब्ध कराये। सूडा के संबंधित पटल को निर्देशित किया गया कि समय न प्रेषित किये जाने वाले जनपदों की पत्रावली प्रेषित की जाय।

(कार्यवाही संबंधित सूडा/डूडा)

राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के जी0एम0, तकनीकी श्री ए0के0 पुरवार को कार्यो में गतिशीलता लाये जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन जिला नगरीय विकास

अभिकरणों द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है एवं कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है वहां तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।

- जिला नगरीय विकास अभिकरणों को निर्देशित किया गया है कि उक्त योजनान्तर्गत सूडा द्वारा डूडा को धनराशि अवमुक्त करने के उपरान्त भी यदि डूडा द्वारा धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं की गयी है तो तत्काल धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय।
  - (कार्यवाही संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>आसरा योजना</u>

- योजना की समीक्षा में समस्त जनपदों को अवगत कराया गया कि पूर्व निर्धारित प्रति आवास लागत रू0 2.96 लाख को बढ़ाकर वर्ष 2013 के कुर्सी क्षेत्रफल के अनुसार अब प्रति आवास लागत रू0 3.94 लाख शासन द्वारा निर्धारित की गयी है। अतः तदोनुसार डी0पी0आर0 तैयार की जाय। संशोधित प्रति आवास दर का शासनादेश संख्या–1005/69–1–14–14(31)/2012 टीसी, दिनांक 07.05.2014 जो सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।
- बैठक में कार्यदायी संस्था के उपस्थित प्रतिनिधि श्री ए0के0 पुरवार, महाप्रबन्धक, तकनीकी, सी0 एण्ड डी0एस0 को अवगत कराया गया कि जनपद बागपत के निकाय खेकड़ा, बिजनौर के निकाय शेरकोट, बुलन्दशहर के निकाय छतारी, कानुपर देहात के निकाय अकबरपुर, कुशीनगर के निकाय सेवरही, लखनऊ के निकाय लखनऊ, सीतापुर के निकाय तम्बौर, खैराबाद एवं बिसवां में उनके द्वारा माह जून, 2014 की प्रेषित प्रगति में कार्य अभी आरम्भ नहीं दर्शाये गये है। निर्देशित किया गया है कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित् किया जाय। जनपदों के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा कार्यदायी संस्था को अभी धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, तत्काल कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित् किया जाय। महाप्रबन्धक तकनीकी को निर्देशित किया गया कि ऐसी परियोजनायें जिसमें डूडा द्वारा कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ऐसी परियोजनाओं की सूची तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
- **आसरा योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–33/69–1–13–14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 16.01.2013 के बिन्दु संख्या–10 के अनुसार "आसरा योजना के अंतर्गत भवनों के क्षेत्र में अवस्थापना कार्य यथा–सम्भव निकायों द्वारा मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से कराये जायेंगे तथा अनुरक्षण भी संबंधित निकायों द्वारा ही कराया जायेगा।"**

  जनपदों एवं कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 के उपस्थित जी0एम0, तकनीकी श्री ए0के0 पुरवार को निर्देशित किया गया कि भविष्य में प्रेषित की जाने वाली संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत की डी0पी0आर0 में उक्त शासनादेश के अनुपालन में अवस्थापना सुविधा मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से एवं अनुरक्षण कराये जाने के संबंध में डी0पी0आर0 में संबंधित निकाय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न अवश्य किया जाय। यदि संबंधित निकाय द्वारा उक्त शासनादेश के अनुपालन में परियोजनान्तर्गत मात्राकृत 25 प्रतिशत बजट से अवस्थापना कार्य एवं अनुरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो ऐसे संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।
- कतिपय जनपदों में अभी निःशुल्क भूमि उपलब्ध नहीं हुयी है, के संबंध में जनपदों को निर्देशित किया गया कि सभी अधिशासी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी/अध्यक्ष की बैठक कराकर शासनादेश के अनुपालन में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायी जाय।

- कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि अभी तक किसी भी परियोजना में एक भी आवास पूर्ण नहीं किया गया है, यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करायें अन्यथा विलम्ब के लिए किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।

(संबंधित डूडा/कार्यदायी संस्था)

<u>रिक्शा योजना</u>

- पूर्व वर्षों से संचालित रिक्शा चालकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना एवं निजी रिक्शा बीमा योजना के अंतर्गत समीक्षा बैठक के एजेण्डा में उल्लिखित वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अद्यतन अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। यह निर्देश दिये गये कि समस्त परियोजना अधिकारियों द्वारा इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराये जाने का प्रयास किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित बीमा कम्पनी आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड तथा जनपद में स्थित रिक्शा चालक एसोशिएशन के प्रतिनिधियों से गहन सम्पर्क कर अधिक से अधिक दावा प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाय। इस हेतु विशेष प्रचार–प्रसार कर पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की जाय। अनुपालन आख्या अपरिहार्य है।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

- प्रदेश के पंजीकृत निजी स्वामित्व मानव चालित रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी चालित रिक्शा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–35, दिनांक 24.01.2013 में पात्रता हेतु निर्धारित कट–ऑफ–डेट दिनांक 30.04.2012 को शासनादेश संख्या–1283, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा संशोधित करते हुए 31.03.2013 किया जा चुका है। इस संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से त्वरित एवं समयबद्ध अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित निर्गत किये जा चुके है। यह निर्देशित किया गया कि यथा निर्धारित संशोधित कट–ऑफ–डेट तक नगरीय निकायों में पंजीकृत रिक्शा चालकों का सर्वेक्षण एवं सत्यापन का कार्य दो माह मे पूर्ण कराकर दिनांक 30.08.2014 तक शासन एवं निदेशालय को सूची प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय। सूची प्रेषण के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रेषित अल्पसंख्यक लाभार्थियों हेतु निर्धारित मात्रात्मक प्रतिशत के आरक्षण की स्थिति का अनुपालन किया जाना भी वांछनीय है।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0)</u>

- भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना प्रारम्भ की गयी है। एन0यू0एल0एम के विभिन्न उप घटकों के संबंध में समय–समय पर समस्त जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।
- योजना के उप घटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Schemeof Shelter for Urban Homeless (SUH)) के अंतर्गत जनपदों को प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु अनेकों बार निर्देशित किया जा चुका है किन्तु खेद का विषय

है कि 8 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

- योजना के उप घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (Social Mobilisation and Institution Development (SM&ID)) के अंतर्गत शहरी आजिविकास केन्द्र (सी0एल0सी0) के स्थापना का प्रावधान है इस संबंध में समस्त जनपदों को समय–समय विस्तृत रूप से निर्देशित कर सी0एल0सी0 की स्थापना हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे किन्तु मात्र 09 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कड़े निर्देश दिये गये कि समस्त जनपद एक सप्ताह के अन्दर प्रस्ताव सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP) के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि पूर्व में संचालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अब इस योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। इस संबंध में समस्त जनपदों को प्रारूप भी प्रेषित किया जा चुका है। जनपदों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 24 सितम्बर, 2013 से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) प्रारम्भ किया गया है। अतः स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदनों को एन0यू0एल0एम0 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् किया जाय।
- नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–779/69–1–14–14(104)/2013 दिनॉक 23.5.2014 जो समस्त जनपदों को सम्बोधित है, के अनुपालन में अभिकरण मुख्यालय द्वारा समस्त जनपदो को पत्र संख्या–647/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001 दि0 11 जून, 2014 जो समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 एवं समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 को सम्बोधित है, के द्वारा सिटी मेनेजमेन्ट यूनिट (सी0एम0यू0) के संचालन हेतु सिटी प्रोजक्ट आफिसर तथा उनकी सहायता के लिए परियेाजना अधिकारी तथा सहायक परियेाजना अधिकारी नामित कर नामित अधिकारियों के नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर सहित एक सप्ताह के अन्दर सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। खेद का विषय है कि अभी तक जनपदो से पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करायी गयी हैं। समस्त जनपदो को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में नामित अधिकारियों का पूर्ण वांछित विवरण हार्ड कापी एवं ईमेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

<u>आई0एल0सी0एस0</u>

- योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में जल प्रवाहित में परिवर्तित कराये गये शौचालयों के सत्यापन में पायी गयी कमियों में जनपद बागपत, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, मेरठ एवं सीतापुर में एफ0आई0आर0 दर्ज है एवं धनराशि की वसूल की जानी है। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल धनराशि की वसूली की जाय, समायोजन की स्थिति/दोषी कर्मियों का नाम एवं पद/दोषी कार्यदायी संस्था के अधिकारी का नाम/पता एवं संस्था को निर्गत की गयी नोटिसों की प्रतियां आदि की सूचना सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि योजना के अंतर्गत जिन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनियमितता की गयी है और

जांच में दोषी पाये गये है, ऐसे गैर सरकारी संस्थाओं को तत्काल काली सूची में डाला जाय साथ ही संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाय।

- योजना के अंतर्गत जिन जनपदों द्वारा धनराशि वसूल की जानी थी किन्तु अभी तक धनराशि वसूल नहीं की गयी है, के संबंध में निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपदों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष को वसूली हेतु अर्द्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया जाय।
- अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के संबंध में जनपद–इलाहाबाद, बागपत, बिजनौर, गाजीपुर, कानपुद देहात, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, सीतापुर, सोनभद्र सुल्तानपुर एवं वाराणसी से सूचना प्राप्त न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध करायी जाये। जिन जनपदों द्वारा सूचना नहीं उपलब्ध करायी जाती है ऐसे जनपदों के संबंध पत्रावली प्रस्तुत की जाय। जनपद मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम मेरठ में कोई भी अस्वच्छ शौचालय नहीं होने की सूचना नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त सूचना सही प्रतीत नहीं होती है। अतः स्वयं नगर निगम के अधिकारियों के साथ सत्यापन करना सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

- अभिकरण मुख्यालय पर सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील योजित होने में अप्रत्याशित वृद्धि हुयी है। यह स्थिति जनपद स्तर पर जनसूचना अधिकारी के स्तर से आवेदन पत्रों पर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही न किये जाने अथवा अत्याधिक विलम्ब से उत्तर दिये जाने या अपूर्ण सूचना के फलस्वरूप उत्पन्न हो रही है। अतः समस्त जनपदों के जनसूचना अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समय से संबंधित को उपलबध कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय। माह में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों एवं कृत कार्यवाही की सूचना अभिकरण मुख्यालय को भी नियमित रूप से प्रेषित की जाय। नोडल अधिकारी, जनसूचना (सूडा) प्रदेश के समस्त जनपदों की संबंधित सूचना का संकलन सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित सूडा/डूडा)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा समाप्त कर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) योजना प्रारम्भ कर दी गयी है। जनपदों को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के विभिन्न घटकों के संबंध में समय–समय पर जनपदों को पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जैसा कि जनपदों को निर्देशित किया जाता रहा कि उपलब्ध धनराधि तत्काल सूडा को उपलब्ध करायें किन्तु अभी भी काफी जनपदों द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी और न की उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो कि खेदजनक है। संबंधित जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि आगामी एक सप्ताह में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
- जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में समाप्त हो चुकी है, अतः इसके किसी भी उपघटक में 1 अप्रैल, 2014 से न तो कोई कार्य स्वीकार किये जायेगें और न ही इस नये कराये गये कार्य हेतु किसी प्रकार भुगतान किया जायेगा।

- जनपदों को निर्देशित किया गया कि स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट संबंधित संस्था द्वारा कराया जाना है। इस संबंध में समय–समय पर दिशा–निर्देश भी निर्गत किये जा चुके है। निर्देशित किया गया ऐसे जनपद जिसमें इस उपघटक मे प्रशिक्षण उपरान्त संस्था द्वारा लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट शून्य है। डूडा द्वारा ऐसी संस्थाओं को इस मद में किसी प्रकार का भुगतान न किया जाय, इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।
- कौशल प्रशिक्षण (स्टेप–अप) के अन्तर्गत अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0 3370/27/तीन/2001 दिनॉक 31.1.2014 की अनुपालन आख्या जनपद यथा–अमेठी, औरैया, बागपत, बलिया, भदोही, चन्दौली, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, हापुड़ जौनपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, सम्भल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं वाराणसी से सूचना अप्राप्त है। उपरोक्त सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। योजनान्तर्गत टूल–किट के संबंध में अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0 251/27/तीन/2001(स्टेप–अप) दिनॉक 02.5.2014 के माध्यम से मांगी गयी सूचना जनपदों यथा– अमेठी, अमरोहा, बागपत, देवरिया, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, सम्भल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं वाराणसी से सूचना अप्राप्त है। उपरोक्त सूचना तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नही करायी जाती है ऐसे जनपदों के विरूद्व चेतावनी पत्र जारी किया जाय यदि फिर भी सूचना नही उपलब्ध करायी जाती है तो प्रतिकूल प्रविष्ठि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों व अन्य मलिन बस्तियों में इण्टरलॉकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना</u>

- उक्त योजना के अंतर्गत जनपदों को निर्देशित किया गया कि समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यों में उच्च गुणवत्ता रखी जाय। निर्माण कार्य का टास्क फोर्स से जांच करायी जाये किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त जनपद कार्य प्रारम्भ कराने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य कराये जाने वाले स्थल पर पहले से किसी भी विभाग द्वारा कार्य न कराया गया हो और न ही भुगतान किया गया हो। इस संबंध में समस्त संबंधित विभागों से प्रमाण–पत्र भी ले लिया जाय। डूडा की शासी निकाय से इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना आवश्यक है।
- उक्त योजनान्तर्गत जनपदों द्वारा धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त ही अभी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया। जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित् किया जाय अन्यथा कार्य न प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूडा के संबंधित पटल द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत की जाय।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

<u>कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बस्ती</u>

- उक्त योजना के अंतर्गत समस्त जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि जिन जनपदों द्वारा यू0सी0/धनराशि सूडा को अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है, एक सप्ताह के अन्दर निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही संबंधित डूडा)

स्लम सर्वे तथा एस0सी0एस0पी

- स्लम सर्वे मद में जनपदों धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी एवं निर्देशित किया गया था कि तत्काल कार्य पूर्ण कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। इस मद में अभी भी कतिपय जनपदों में धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है जो कि खेदजनक है। जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर धनराशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
- एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 या उससे पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अभी भी कई जनपदों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवशेष है, जब कि समस्त संबंधित जनपदों को निर्देशित किया जा चुका है कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र/धनराशि सूडा को उपलब्ध करायें। अतः संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

बैलेन्स शीट

- वर्ष 2013–14 की बैलेन्स शीट जिन जनपदों द्वारा जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर अभी उपलब्ध नहीं करायी गयी है ऐसे समस्त जनपदों को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा से हस्ताक्षर कराकर बैलेन्स शीट सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करायें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये –

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न जनपदों के डूडा में तैनात कतिपय परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/लेखाकार/लिपिक बिना जनपद के सक्षम स्तर से अनुमति लिये सूडा मुख्यालय/शासन में घूमते रहते है। इस संबंध में कार्यालय आदेश–978/कैम्प/नि.सूडा/2014, दिनांक 30.06.2014 द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत कर निर्देशित किया गया है कि डूडा के उक्त अधिकारी/कर्मचारी बिना जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा अथवा निदेशक, सूडा/अपर निदेशक, सूडा से पूर्व अनुमति लिये सूडा मुख्यालय नहीं आये अन्यथा उक्त दिवस का वेतन कटौती करते हुए उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।
- समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि विधायी प्रकरणों (लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद) के प्रश्नों के उत्तरालेख एवं अनुपूरक सामग्री तथा विभिन्न नियमो के अन्तर्गत वांछित सूचनाएं जनपदों से परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी के स्तर से हस्ताक्षरित कर प्रेषित कर दी जाती है, यह प्रवृति अनुचित है। पूर्व में यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि विधायी मामलो में उत्तरालेख प्रत्येक दशा में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा अथवा परियोजना निदेशक, डूडा के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाय। अतः कड़े निर्देश दिये गये उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- समस्त जनपदों को पुनः निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित् किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।

(7)

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि डूडा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित् की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय–समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का समय–समय पर टेस्ट लिया जायेगा। अतः कम्प्यूटर का ज्ञान होना सुनिश्चित् किया जाये।

- समस्त जनपदीय अधिकारी अपने से संबंधित नगर निकायों के अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखें व योजना को कियान्वित करायें

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–समस्त डूडा)

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–1405/110/तीन/97 Vol-VI दिनांक– 23/7/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण–देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, औरैया, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, सम्भल, बिजनौर, अमरोहा, शामली, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर, अम्बेकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, सुल्तानपुर एवं बलिया।, महराजगंज।
2. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
5. प्रवन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

22/7/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक